**ग्राम पंचायत साहं, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के लेखों का**

**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

**अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025**

**भाग-1**

**1 (क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत साहं, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत साहं में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-**

**प्रधान :-**

| **क्रम संख्या** | **नाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| **1.** | श्रीमती बीना देवी | 1.04.2024 से 31.03.2025 तक |

**पंचायत सचिव:-**

| **क्रम संख्या** | **नाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| 1. | श्री करतार सिंह | 01.04.2024 से 31.03.2025 तक |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत साहं, विकास खण्ड भरमौर , जिला चम्बा के लेखों अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

| **क्र० सं०** | **गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार** | **पैरा संख्या** | **राशि (₹ लाखों में)** |
|---|---|---|---|
| 1. | बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना | 4.3 | 1.05 |
| 2. | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना। | 6.1 | 07.75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | पंचायत राजस्व, (गृहकर) मोबाईल टावर व विवाह शुल्क की बकाया वसूली न करने बारे। | 7.1,7.2,7.3 | 0.45 |
| 4. | ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के अनियमित भुगतान करने बारे। | 8.1 | 6.38 |
| 5. | GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि। | 8.2 | 0.31 |
| 6. | आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटोती न करना। | 8.3 | 0.13 |
| 7. | सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे । | 8.4 | 6.38 |
| 8. | निर्माण कार्यों में गलत भुगतान पारित करने बारे। | 8.5 | 0.10 |

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-**

ग्राम पंचायत साहं, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -02 दिनांक 16-04-2025 द्वारा अवगत निष्पादित करवाया गया। जिसके संदर्भ में सचिव द्वारा प्रतिउतर दिया गया कि केवल कुछ ही अंकेक्षण पैरों का किया गया है । इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्त्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

**अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2021 से 03/2022 तक :-**

| क्रम संख्या | पैरा संख्या | पैरा स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | निर्णीत | चैक संख्या 538566 दिनाक 07.05.2025 को मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | 4 | -- | वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित |
| 3. | 5 | निर्णीत | कार्रवाई देख ली गई है |
| 4. | 6 | अनिर्णीत | - |
| 5. | 07 | निर्णीत | कार्रवाई देख ली गई है |
| 6. | 08 | निर्णीत | कार्रवाई देख ली गई है |
| 7. | 09 | निर्णीत | कार्रवाई देख ली गई है |
| 8. | 10 | अनिर्णीत | - |
| 9. | 11 | अनिर्णीत | - |
| 10. | 12 | निर्णीत | कार्रवाई देख ली गई है |
| 11. | 13 | निर्णीत | कार्रवाई देख ली गई है |
| 12. | 14 | अनिर्णीत | |
| 13. | 15 | निर्णीत | कार्रवाई देख ली गई है |
| 14. | 16 | अनिर्णीत | - |

## भाग- दो

**2 वर्तमान अंकेक्षण**

ग्राम पंचायत साहं, विकास खंड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16-04-2024 से 22-04-2025 तक ग्राम पंचायत साहं के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | आय चयनित माह | व्यय चयनित माह |
|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | 11/2024 | 05/2024 |

**इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न**

**होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।**

**3 अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत साहं, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4000/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या -12 दिनांक 22-04-2025 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके सन्दर्भ में पंचायत द्वारा चैक संख्या -538565 दिनांक :-07.05.2025 के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।

**4 वित्तीय स्थिति**

ग्राम पंचायत साहंद्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/ 03/2025 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

**4. (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान**

ग्राम पंचायत साहं के अवधि 01/04/2024 से 31/ 03/2025 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

**1. स्व:-स्त्रोत**

| वित्तीय वर्ष | अथ शेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 263218 | 181467 | 444685 | 57965 | 386720 |

**2. अनुदान**

| वित्तीय वर्ष | अथ शेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 3301001 | 5445240 | 8564774 | 7790229 | 774545 |

**कुल योग (1 + 2) = ₹386720+ ₹774545= ₹1219230**

**(ब) ग्राम पंचायत साहं, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०)**

**दिनांक 31/03/2025 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण**

**अन्तर (ब-अ) ₹1219230-₹ 1325121 = -₹105891**

| क्रम संख्या | खाता संख्या | बैंक का नाम | मद | राशि 31-03-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18410100465, | HPSCB GAROLA | 5TH SFC /SF/CD-2515/VKVNY | 1179222 |
| 2. | 99171100000376, | HPGB DURGETHI | LADP | 142646 |
| | | | **cash in hand** | 3253 |
| | | | **Total** | **1325121** |

**4.2** उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹**105891.00** का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

**4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.05 लाख का अन्तर।**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2025 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹**105891.00** का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 21.04.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 4.4 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। इ- ग्राम स्वराज के अतर्गत संधारित रोकड़ बहियाँ मद/ शीर्ष अनुसार संधारित न करके एक ही शीर्ष / मद में संधारित की जा रही थी जिस कारण उक्त शीर्ष /मद के प्रारम्भिक शेष व अन्त शेष का पता लगाना मुश्किल था तथा किस मद / शीर्ष में कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई व खर्च हुई। जोकि जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 21-04-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 4.5 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला , DPO 5th स्टेट व Sfc का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 21-04-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व:-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक :- 21.04.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में सभा निधि की अधिक्य राशि को सावधि में जमा करवा दिया जाएगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**6 अनुदान**

**6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹7.75 लाख का अवरोधन :-**

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 3**" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹ **774545.00** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी

योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 21.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत साहं के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

**6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे:-**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 21-04-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

**6.3 प्राप्त अनुदानों के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका

इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 19-04-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 7. स्व: स्त्रोत

### 7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.16 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत द्वारा ग्रह कर की वसूली नियमानुसार नही की जा रही थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹16570/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

**31-03-2025 को गृह कर बकाया राशि का विवरण:-**

| क्र० स० | वित्तीय वर्ष | अथशेष | पंजीकृत परिवारों की संख्या | दर प्रति | वर्ष के दौरान माँग | कुल योग | वर्ष के दौरान वसूली | वसूली हेतु शेष बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-25 | 10070 | 325 | 20 | 6500 | 16570 | 0 | 16570 |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 19-04-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**7.2 पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर की कम्पनी से बकाया शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹0.25 लाख का बकाया शेष :-**

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.) 96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाईल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार था । पैरा 3.4 (ii)के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाईल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होता था ।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाईल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नही चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नही चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद करने बारे नोटिस जारी कर सकती थी ।

ग्राम पंचायत साहं विकास खंड भरमौर जिला चम्बा के अभिलेखों की जांच एवम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जानकारी के अनुसार तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ग्राम पंचायत द्वारा

बकाया स्थापना शुल्क तथा वार्षिक शुल्क अभी तक नही वसूला गया था जिसका विवरण निम्न दिया गया है -:

| Years | Op.Balance | No. of Tower | Rate | Demand during the year | Total | Collection during the year | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2024-25** | 25000 | 1 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 |

अत: उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि तक उपरोक्त कम्पनी से नवीनीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त करना शेष था। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वार्षिक शुल्क लेने के लिए मोबाईल कम्पनी को लिखित मांग पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी करना चाहिए था परन्तु अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल कम्पनी को शुल्क लेने के लिए कोई मांग पत्र / नोटिस जारी नही किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नही किया गया था। अत: मोबाईल टावर फीस नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है की पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवम कर उगाही के प्रति गम्भीर नही थी जो कि उपरोक्त नियमो की अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -03 दिनांक 19-04-2025 के अवगत करवाया गया था जिसका कोई प्रतिउतर नही दिया गया। अतः उक्त की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### 7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष , 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वसूली गई राशि **₹3725** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1. | 2024-25 | 3725 |
| | **योग** | **3725** |

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 19/04/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

**8. व्यय**

**8.1 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के राशि ₹06.38 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म W या X प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन (आर डी एवं पी आर) डी बी जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30. दिनाक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट - '4'** द्वारा राशि **₹637642.00** आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित विवरण अनुसार **₹637642.00** का अनियमित भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः -06 दिनांक 19.04.25 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी।

अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

**8.2 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.31 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-**

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान तथा सेवा पर 18 % GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹ **637642**.00/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान/साक्ष्य अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹ 30364/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गंभीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 19-04-2025 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि

किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

**8.3 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.13 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटोती न करना :-**

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चयनित माह 05/24 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट " 04"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹**637642**.00 का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर ₹12752 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।इस बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -11 दिनांक 21-04-2025 के संदर्भ में सचिव द्वारा कोई प्रत्युत्तर नही दिया गया जोकि कर्मचारी की उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अत :उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त जीएसटी टीडीएस की कटौती की राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

**8.4 सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट – '04'** अनुसार राशि ₹**637642**.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -08 दिनांक 19-04-2025 द्वारा सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा प्रतिउतर दिया गे कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा।

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 8.5 निर्माण कार्यों में राशि ₹0.10 लाख का गलत भुगतान पारित करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 101 से 107 में निर्माण कार्य के निष्पादन से सम्बंधित नियम प्रावधित हैं

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में दर्ज मद "**Dry rubble massonary**" हेतु सामग्री की आपूर्ति "c**ollection** of stone" मजदूरों व आपूर्तिकर्ताओं से करवाई जा रही थी तथा उक्त मद "**Collection** of stone" की कुल प्राप्त मात्रा ( मजदूरों व आपूर्तिकर्ता दोनों से प्राप्त) से अधिक की **(Dry rubble massonary)** करवाई गई जिससे यह प्रतीत होता है कि "**Dry rubble massonary**" पर अधिक मजदूरी को प्रमाणित किया गया है क्योंकि " **Collection** of stone " जोकि मजदूरों तथा आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कुल पत्थर की मात्रा से अधिक थी तथा उक्त मद **(Dry rubble massonary)** तर्कसंगत प्रतीत नही होती है। अतः प्रमाणित लिया गया भुगतान अनुचित प्रतीत होता है।

| क्र स | कार्य का नाम | MB/Page no. | कुल पत्थर (मजदूर+ आपूर्तिकर्ता )m3 | कुल (Dry Rubble Massonary | अंतर | राशि (m3*rate ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/o protection work at Lower khill batara | 29923/21,26,34,40 | 104 | 133m3 | 29m3 | 29*360.36=10450 |
| | | | | | total | 10450 |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 21-04-2025 के संदर्भ में कोई प्रतिउतर नही दिया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके सम्बन्धित कोष/निधि में जमा कराकर लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

## 9 विविध अनियमिततायें

### 9.1 मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

**i)** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत साहं के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिल/वाउचर का भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

**ii)** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मस्टर रोल के साथ साथ पंचायत द्वारा समस्त बिल/ वाउचर का भुगतान भी बिना संयुक्त हस्ताक्षर के किया जा रहा था तथा उक्त भुगतानों को पंचायत द्वारा बिना पारित किये किया गया था जोकि अनुचित है। तथा किये जा रहे भुगतानों पर पारित प्रस्ताव संख्या अंकित नही थे जोकि अनुचित है।

जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 व 10 दिनांक 19.04.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतिउतर अंकेक्षण को नही दिया गया

अत: उक्त किये गये व्यय को नियमित करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

## 9.1 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

| क्र० | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | संदर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश रजिस्टर | 01 | 12 |
| 2. | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 09 | 30 |
| 3. | मासिक बैंक समाधान विवरणी | ---- | 15(1) |
| 4. | माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(4) |
| 5. | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61(1) |
| 6. | निर्माण कार्य रजिस्टर | -------- | 103 |
| 7. | तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर | 31 | 95(1) |
| 8. | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72 (1) ए व बी |

9. Mnrega FTO रजिस्टर व वेंडर लिस्ट व
BPL रजिस्टर

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11, दिनांक 21.04.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**9.2 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान, बैंक सार्टीफिकेट इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नही क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11, दिनांक :-21-04-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**10 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

12. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमितताएं की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

07 JUL 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 05.7.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4230–4238 फा0/60

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच(पंच) 15(7)116/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सांह, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

07 JUL 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 05.7.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

फा0/60

परिशिष्ट-1 पैरा संख्या 4 (अ) के संदर्भ में

| Financial Position of Own Sources in r/o | | | " GP SANH" | Dev. Block Bharmour | Distt Chamba H.P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Year | Op.Balance | Receipt | Total | Expenditure | Closing Balance |
| 2024-25 | 263218 | 181467 | 444685 | 57965 | 386720 |

Secretary
Gram Panchayat Sanh
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट -2 पैरा सख्या 4(अ) 2 के संदर्भ में

| Financial Position of Grant in Aid in r/o GP Sanh D.B Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Op.Balance | Receipt | Total | Expenditure | Closing Balance |
| **2024-25** | **3301001** | **5263773** | **8564774** | **7732264** | **832510** |

H.P. State Audit Department
Audit Circle Chamba

Secretary
Gram Panchayat Sanh
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट 3 पैरा सख्या 4.3 व 6.1 के संदर्भ में

| Grant in aid in r/o Gram Panchayat | | " GP SANH" | Dev. Block Bharmour | Distt Chamba HP | Year Ended | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | Total | Expenditure | Closing Balance |
| 1 | SFC/LDP/VMJS/SBM | 728135 | 753309 | 1481444 | 723322 | 758122 |
| 2 | LADP | 2572866 | 32958 | 2605824 | 2531436 | 74388 |
| 3 | MNREGA | 0 | 4477506 | 4477506 | 4477506 | 0 |
| | Total | 3301001 | 5263773 | 8564774 | 7732264 | 832510 |
| | Balane As Per Cash Book | | | | | |
| 1 | Balance on 31.03.2025 | (Own Source) | | | | 386720 |
| 2 | Balance on 31.03.2025 | SFC/LDP/VMJS/SBM | | | | 758122 |
| 3 | Balance on 31.03.2025 | LADP | | | | 74388 |
| 4 | Balance on 31.03.2025 | MNREGA | | | | 0 |
| | | | | Total | | 1219230 |
| | Balance as per Bank | | | | | |
| | A/c No | Branch | Head | | | |
| 1 | 18410100465, | HPSCB GAROLA | 5TH SFC /SF/CD-2515/VKVNY | | | 1179222 |
| 2 | 99171100000376, | HPGB DURGETHI | LADP | | | 142646 |
| | | Cash In Hand | | | | 3253 |
| | Total | | | | | 1325121 |
| | | | | *Diffrence* | | *-105891* |
| | | | | | | |
| | 1.Mnrega cash book not produced so income and expenditure taken from mnrega financial position | | | | | |

Jr. Auditor
H.P. State Audit Department
Audit Circle Chamba

Secretary
Gram Panchayat Sanh
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट - 4 पैरा संख्या - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 से संबंधित

## GP Sahan DB Bharmour 2024-2025

STATEMENT SHOWING THE DETAIL OF STONE, PURCHASE FROM VENDOR WITHOUT W,X FORM AND GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDITALSO TDS ON GST NOT DEDUCTED

| SR. | NAME OF VENDER/ | GRANTS/ | Resolution No./Date | Bill No./Date of Payment | | NAME OF ITEM | AMOUNT | AMOUNT TO BE PAID | GST NOT PAID /DEDUCTED | TDS ON GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 147 | 17/05/2024 | Stone | 21384 | 20365.7 | 1018.3 | 427.68 |
| 2 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 148 | 17/05/2024 | Stone | 20250 | 19285.7 | 964.3 | 405 |
| 3 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 149 | 17/05/2024 | Stone | 16500 | 15714.3 | 785.7 | 330 |
| 4 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 150 | 17/05/2024 | Stone | 20250 | 19285.7 | 964.3 | 405 |
| 5 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 151 | 17/05/2024 | Stone | 20250 | 19285.7 | 964.3 | 405 |
| 6 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 152 | 17/05/2024 | Stone | 24750 | 23571.4 | 1178.6 | 495 |
| 7 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 153 | 17/05/2024 | Stone | 29106 | 27720.0 | 1386.0 | 582.12 |
| 8 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 154 | 17/05/2024 | Stone | 33750 | 32142.9 | 1607.1 | 675 |
| 9 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 155 | 17/05/2024 | Stone | 16236 | 15462.9 | 773.1 | 324.72 |
| 10 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 156 | 17/05/2024 | Stone | 23940 | 22800.0 | 1140.0 | 478.8 |
| 11 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 157 | 17/05/2024 | Stone | 24750 | 23571.4 | 1178.6 | 495 |
| 12 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 158 | 17/05/2024 | Stone | 32250 | 30714.3 | 1535.7 | 645 |
| 13 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 160 | 17/05/2024 | Stone | 13860 | 13200.0 | 660.0 | 277.2 |
| 14 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 161 | 17/05/2024 | Stone | 15000 | 14285.7 | 714.3 | 300 |
| 15 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 162 | 17/05/2024 | Stone | 20250 | 19285.7 | 964.3 | 405 |
| 16 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 164 | 17/05/2024 | Stone | 9200 | 8761.9 | 438.1 | 184 |
| 17 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 165 | 17/05/2024 | Stone | 9200 | 8761.9 | 438.1 | 184 |
| 18 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 166 | 17/05/2024 | Stone | 9200 | 8761.9 | 438.1 | 184 |
| 19 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 167 | 17/05/2024 | Stone | 7600 | 7238.1 | 361.9 | 152 |
| 20 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 168 | 17/05/2024 | Stone | 3760 | 3581.0 | 179.0 | 75.2 |
| 21 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 169 | 17/05/2024 | Stone | 9200 | 8761.9 | 438.1 | 184 |
| 22 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 170 | 17/05/2024 | Stone | 7600 | 7238.1 | 361.9 | 152 |
| 23 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 171 | 17/05/2024 | Stone | 5700 | 5428.6 | 271.4 | 114 |
| 24 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 172 | 17/05/2024 | Stone | 5700 | 5428.6 | 271.4 | 114 |
| 25 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 173 | 17/05/2024 | Stone | 34200 | 32571.4 | 1628.6 | 684 |
| 26 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 174 | 17/05/2024 | Stone | 18720 | 17828.6 | 891.4 | 374.4 |
| 27 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 175 | 17/05/2024 | Stone | 15000 | 14285.7 | 714.3 | 300 |
| 28 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 176 | 17/05/2024 | Stone | 32000 | 30476.2 | 1523.8 | 640 |
| 29 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 177 | 17/05/2024 | Stone | 34200 | 32571.4 | 1628.6 | 684 |
| 30 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 178 | 17/05/2024 | Stone | 18720 | 17828.6 | 891.4 | 374.4 |
| 31 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 179 | 17/05/2024 | Stone | 36000 | 34285.7 | 1714.3 | 720 |
| 32 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 180 | 17/05/2024 | Stone | 9200 | 8761.9 | 438.1 | 184 |
| 33 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 181 | 17/05/2024 | Stone | 19000 | 18095.2 | 904.8 | 380 |
| 34 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 182 | 17/05/2024 | Stone | 22050 | 21000.0 | 1050.0 | 441 |
| 35 | Onkar Singh Dallail Govt.Contractor | MGNREGA | 12/09/11/2023 | 183 | 17/05/2024 | Stone | 20250 | 19285.7 | 964.3 | 405 |
| | Total | | | | | | 637642 | 607278.1 | 30363.9 | 12752.84 |

Secretary
Gram Panchayat Sanh
Dev. Block Bharmour

23